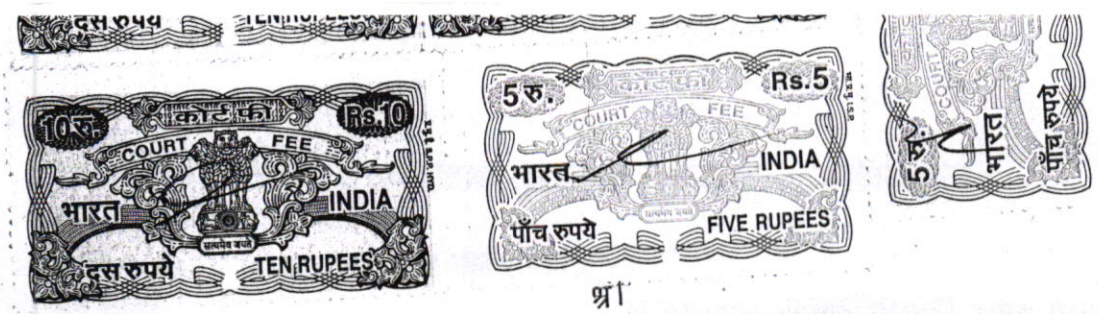

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्री

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर संभाग इन्दौर

---------0---------

(12)

R-2806-PBR/14

Bring 12/8/14 ... इन्दौर ... 19/8/14

नंदराम पिता श्री शंकरलाल, जाति लोधा

उम्र 60 वर्ष, धन्धा कृषि, निवासी नानंदवासा

तहसील व जिला धार म.प्र. ----- प्रार्थी निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्री संतोष परमार
प्रार्थी अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-8-2014
को प्रस्तुत
~~488~~ 487 /02-08-2014

1- म.प्र. शासन

2- पन्नालाल दत्तक पिता देवीलाल, भील

धन्धा कृषि, निवासी- नानंदवासा

तहसील व जिला धार -- विपक्षीगण

निगरानी धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत

23-8-14

माननीय न्यायालय,

सेवा मे प्रार्थी-निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी, न्यायालय नायब तहसीलदार महोद धार के न्यायालय के प्रकरण क्र. 03/अ-12/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 14-7-2014 के द्वारा राजस्व निरीक्षक की ओर से सीमांकन रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस फिल्ड बुक, सूचना पत्र के प्राप्त की जो प्रकरण मे संलग्न की गई, व आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे उपरोक्त भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक पटवारी द्वारा किया जा चुका है प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जाना शेष नहीं है, प्रकरण मे सीमांकन सही मानकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया, जिससे असन्तुष्ट व दुःखी होकर नकल मिलते खर्च की व्यवस्था कर अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण संक्षिप्त तथ्य

1- यह कि प्रार्थी विपक्षी पन्नालाल ने एक आवेदन पत्र भूमि ग्राम

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2806-पीबीआर/2014 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील व जिला धार के प्रकरण क्रमांक 3/2013-14/अ-12 में पारित आदेश दि. 14-7-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि तहसील न्यायालय किये गये सीमांकन में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जाकर उसकी गैर मौजूदगी में सीमांकन किया गया है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार ने दिनांक 14-7-14 को सीमांकन सही मानकर उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं रहना बताकर प्रकरण समाप्त किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के पूर्व आवेदक को सूचना पत्र तामील कराया गया है तथा पड़ोसी कृषकों को सूचना दी गई है, इसलिये पारित सीमांकन आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के पंचनामें से स्पष्ट है कि आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, क्योंकि पंचनामें पर आवेदक की आपत्ति का उल्लेख भी है। अत: तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधि होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दि.14-7-14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	